O/o. E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 3919
Date 28 DEC 2023
Addl.CE

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एन :— U40108CT2003SGC015820

कार्या :— कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)

क्रमांक :— 01—01/अ.प्र.कं./25/2023/6442 रायपुर, दिनांक 26 DEC 2023

(अपील प्र.कं. 25/2023)

श्री युगल तिवारी अपीलार्थी

रायपुर

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी

जनसूचना अधिकारी

—:: आदेश ::—

(दिनांक 26/12/2023 को पारित)

अपीलार्थी श्री युगल तिवारी द्वारा सूचनाधिकार के अंतर्गत (जिसे आगे "अधिनियम"कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की है। अतः प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :—

(I)	सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी :—	आपके कंपनी के अति. महाप्रबंधक (जनसंपर्क) श्री उमेश मिश्रा, वर्तमान पदस्थापना संयुक्त सचिव (जनसंपर्क), मंत्रालय, नवा रायपुर है को पॉवर कंपनी में उप महाप्रबंधक तथा अति. महाप्रबंधक (जनसंपर्क) पद पर पदोन्नत किए जाने संबंधी आदेश, पदोन्नत किए जाने हेतु प्रचलित एवं अनुमोदन प्राप्त नस्ती तथा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (निदेशक मंडल) से ली गई स्वीकृति के दस्तावेज मांगी गई है।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :—	मेरे आवेदन दिनांक 08 अगस्त 2023 के संबंध में मुझे कोई भी जानकारी अथवा पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जो सूचना का उल्लंघन है। जन सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी समय—सीमा में उपलब्ध नहीं कराई गई और न ही उक्त जानकारी के लिए किसी प्रकार के शुल्क जमा कराने संबंधी पत्र मुझे भेजा गया है।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :—	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :—
		15.12.2023	जनसूचना अधिकारी उपस्थित किन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित रहें।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क/कथन :—		तालिका (I) में उल्लेखित जानकारी उप महाप्रबंधक (मा.सं.)—एक, के नियंत्रण एवं प्रभार में होने के कारण धारा 5(5) के अनुसार सहायता ली गई। अतएव प्राप्त सूचना के आधार पर अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र कमांक 4675 दिनांक 08.09.2023 के माध्यम से धारा 7(1) के अंतर्गत कुल 11 छाया पृष्ठों की जानकारी हेतु अभिलेख शुल्क 22/—मात्र का भुगतान करने बाबत् स्पीड पोस्ट के द्वारा सूचित किया गया है। उक्त कार्यालयीन पत्र डाक विभाग द्वारा यह टीप के साथ कि प्राप्तकर्ता नहीं जाना जा सका मूलतः इस कार्यालय को वापस किया गया है। अपीलार्थी का स्मरण आवेदन पत्र दिनांक 27.09.2023 इस कार्यालय में दिनांक 05.10.2023 को प्राप्त हुआ है। तत्संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 5280 दिनांक 09.12.2023 के द्वारा प्रकरण के वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए निर्धारित अभिलेख शुल्क 22/—मात्र का भुगतान किये जाने बाबत् पुनः अवगत कराया गया।

			यद्यपि प्रेषित पत्र डाक विभाग के द्वारा प्राप्तकर्ता नहीं जाना जा सका का उल्लेख के साथ मूलतः इस कार्यालय को पुनः वापस किया गया है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी से दिनांक 23/11/2023 को दूरभाष के माध्यम से प्रकरण के वस्तुस्थिति के संबंध में चर्चा की गई। अतः अपीलार्थी द्वारा आश्वस्त किया गया कि वांछित जानकारी प्राप्त होते ही दस्तावेज का अवलोकन कर दर्ज अपील के संबंध में अवगत कराया जायेगा। अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 28.11.2023 के माध्यम से निर्धारित अभिलेख शुल्क का भुगतान पोस्टल आर्डर के माध्यम से किया गया। अतः पत्र कमांक 6040 दिनांक 30.11.2023 के माध्यम से अपीलार्थी को कुल 11 पृष्ठों की जानकारी उपलब्ध करायी गई। उक्ताशय के संबधं में अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 07.12.2023 जो प्रथम अपीलीय अधिकारी को सम्बोधित एवं प्रतिलिपि जन सूचना अधिकारी को पृष्ठांकित है इस कार्यालय में दिनांक 14.12.2023 को प्राप्त हुआ है के माध्यम से उनके द्वारा लेख किया गया है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारी 30/11/2023 को सम्बोधित पत्र के माध्यम से दिनांक 06/12/2023 को प्राप्त हो चुकी है। उक्त जानकारी से मै संतुष्ट हूँ।

(2) — उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर जो कार्यवाही की गई है, वह विधिसंगत है।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपीलार्थी को उनके द्वारा दिये गये पते पर धारा 7(1) के प्रावधानुसार अभिलेख शुल्क 22/—मात्र का भुगतान कर दस्तावेज प्राप्त किये जाने बाबत् सूचित किया गया है। तदापि जनसूचना अधिकारी द्वारा अभिलेख शुल्क प्राप्त कर अपीलार्थी को दस्तावेज उपलब्ध करायी गई है, जिसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है।

उल्लेखित तालिका (IV) टीप के दृष्टिगत अपीलार्थी श्री तिवारी जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी/दस्तावेज से पूर्णतः संतुष्ट है। अतएव दर्ज प्रथम अपील में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है। अपितु जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में कृत कार्यवाही पूर्णतः तर्कसंगत है जो स्वीकार्य है। अतः अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 07.12.2023 के दृष्टिगत दर्ज अपील समाप्त कर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक— 0771—2574700

प्रतिलिपि :—(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)— दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर।
(2) उप महाप्रबंधक (मा0सं0)— एक, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर ।
(3) श्री युगल तिवारी, संवाददाता, टीव्ही 18, ब्यूरो ऑफिस, दूसरी मंजिल, ऑफिस नं. एस— 01, मारूति सालिटरे प्लाजा, शंकर नगर, वार्ड नं.—29 रायपुर (छ.ग.), पिन— 492007 ।
(4) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर— उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :— सचिव, छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर